पत्रांक-सिं०को०-118/06-पार्ट VI 248

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

संतोष कुमार मल्ल,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/ सिवान/सहरसा/दरभंगा/
गया/बिहारशरीफ/औरंगाबाद/डिहरी/भागलपुर ।

पटना, दिनांक- 5/6/25

विषय:- खरीफ सिंचाई अनुदेश 2025

महाशय,

खरीफ सिंचाई अभियान 2025 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से जल प्रबंधन कर खरीफ सिंचाई में वृद्धि हेतु समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष विभाग की वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से **23.77** लाख हेक्टयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है । खरीफ सिंचाई 2025 के लिए मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । खरीफ सिंचाई के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है:-

(i) नहरों में सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर्विभागीय समन्वय द्वारा खरीफ सिंचाई 2025 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरुप सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

(ii) सभी नहर प्रणालियों में जलश्राव की अधियाचना Indent & Discharge Portal पर की जायेगी ।

(iii) खरीफ सिंचाई 2025 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए यह सुनिश्चत करेंगे कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से संबंधित सूचना/ प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रात: 8.00 बजे एवं साप्ताहिक सिंचाई उपलब्धि प्रतिवेदन (साप्ताहांत शुक्रवार) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्राप्त हो जाय ।

(iv) खरीफ सिंचाई 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच प्रमंडलवार/जिलावार वितरित करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी एवं कृषि पदाधिकारी को भी देगें ।

(v) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक-सिं०को०-01/2001 पार्ट IV-239 दिनांक-28.06.2024 के द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण

समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियंता, मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगें । जहाँ तातील प्रथा लागू नहीं है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी की शिकायतें है, वहाँ विशेष ध्यान देगें तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातील प्रथा लागू कर पानी छोडने की व्यवस्था करेगें ।

(vi) नहर संचालन प्रारंभ होने के 07 दिनों के अंदर नहरों के अंतिम छोर तक का शत प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक चरणबद्ध तरीके से करते हुए नहर संचालन के संबंध में ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर दृष्टिगत बाधाओं को समीक्षोपरान्त दूर कराना सुनिश्चित करेंगे। तद्‌ोपरान्त खरीफ सिंचाई अवधि में कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण करेंगे ताकि नहरों के अंतिम छोर के किसानों को कोई कठिनाई न हो एवं विभाग को अनावश्यक आलोचना का सामना न करना पड़े। अतः सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ।

(vii) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उपवितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से प्रबोधन करेगें एवं इसका प्रतिवेदन सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करायेगें ।

(viii) शीर्ष/त्रियक नियामक एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता स्तर पर की जायेगी । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेगें तथा की गयी कार्रवाई की सूचना अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला परिषद् को उपलब्ध करायेगें ।

(ix) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा तथा अवर प्रमंडल के पास ग्रामीण नक्शे पर अंकित कमांड मैप होना चाहिये। कनीय अभियंता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेगें तथा इसका भी लेखा रखेगें कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेगें तथा सुझाव के साथ प्रस्ताव देगें ।

(x) उपलब्ध पानी के कमी की स्थिति में, इसके सही एवं समानुपातिक वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेगें ।

(2) खरीफ सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है । प्रत्येक पदाधिकारी, जो सिंचाई कार्य में संलग्न है, का प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/सूदकार हो । जिनके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सूदकार होगा वे प्रशस्ति के योग्य समझे जायेंगे तथा जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के लक्ष्य से कम उपलब्धि/सूदकार होगा उनकी चारित्री में प्रतिकूल अभियुक्ति दर्ज की जायेगी ।

अनु०- खरीफ सिंचाई लक्ष्य 2025

विश्वासभाजन

4/6/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- सिं०को०-118/06-पार्ट VI- 248 पटना, दिनांक:- 5/6/25

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०:- खरीफ सिंचाई लक्ष्य-2025

5/6/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सिं०को०-118/06-पार्ट VI- 248 पटना, दिनांक- 5/6/25

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/6/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
खरीफ सिंचाई 2025 का निर्धारित लक्ष्य

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी०सी०ए०	विकसित सी०सी०ए०	विगत वर्ष 2024 का लक्ष्य	विगत वर्ष 2024 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2025 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2025 का विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (विकसित सी.सी.ए. के विरूद्ध)	अभ्युक्ति
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	441075	423305	335940	332157	335601	336407	79.47	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	62950	62950	50903	50696	50729	51181	81.30	
	मध्यम सिंचाई योजना	85664	71615	62977	65126	65512	65517	91.49	
	कुल	**589689**	**557870**	**449820**	**447979**	**451842**	**453105**	**81.22**	
नालंदा (बिहारशरीफ)	मध्यम सिंचाई योजना	179637	164300	143626	139724	164740	164740	**100.27**	
गया	मध्यम सिंचाई योजना	85860	70440	58527	53841	65568	65568	93.08	Distribution System for total CCA not developed
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	22022	6315	4406	4370	4370	4370	69.20	
	कुल	**107882**	**76755**	**62933**	**58211**	**69938**	**69938**	**91.12**	
औरंगाबाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	123000	71920	57473	51794	57473	57473	79.91	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	54228	54228	47830	47355	47355	47355	87.33	
	पटना मुख्य नहर	118925	118925	114732	114732	114732	114732	96.47	
	मध्यम सिंचाई योजना	24060	16050	10529	6238	11829	11829	73.70	
	कुल	**320213**	**261123**	**230564**	**220119**	**231389**	**231389**	**88.61**	
	कुल (सोन परियोजना):-	**699200**	**665723**	**553811**	**549310**	**552787**	**554045**	**83.22**	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	612000	594730	445110	436902	446829	448590	**75.43**	
दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	203300	230940	107189	107585	179444	179677	77.80	Canals under construction and distribution System for total CCA not developed.
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंग्स केनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	48059	45830	33920	32869	35440	35440	77.33	
	कुल	**251359**	**276770**	**141109**	**140454**	**214884**	**215117**	**77.72**	
	कुल (कोशी परियोजना):-	**815300**	**825670**	**552299**	**544487**	**626273**	**628267**	**76.09**	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	602670	487690	359996	351466	370073	370209	**75.91**	Distribution System for total CCA not developed
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	399000	328780	216104	209115	220185	220187	**66.97**	
	कुल (गंडक परियोजना):-	**1001670**	**816470**	**576100**	**560581**	**590258**	**590396**	**72.31**	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	75000	75000	65734	61305	65734	65735	87.65	
	बदुआ जलाशय योजना	45850	45850	36219	36041	36219	36219	78.99	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	185020	135222	100184	88480	102334	102488	75.79	
	कुल (भागलपुर परिक्षेत्र):-	**305870**	**256072**	**202137**	**185826**	**204287**	**204442**	**79.84**	
	कुल योग	**3368320**	**3004090**	**2251399**	**2189796**	**2374167**	**2377717**	**79.15**	